रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05



HICLAST SIJUA The Gazette of India RIVERKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21---मई 27, 2011 (वैशाख 31, 1933) No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21---MAY 27, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कुर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिलेली, दिनांक 25 अप्रैल 2011

सं. ई-III/18(6)/08/टीएन/छूट/निरस्तीकारण--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या उप क्षे. का. 3416 दिनांक 26.10.1957 द्वारा मैसर्स बी. एण्ड सी. मिल्स लि., टीएन/29 जिसका पंजीकृत कार्यालय 106, आर्मीनियन स्ट्रीट, चैन्नै-600001 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जनकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से, जो मैं उचित समझता हूं, को प्रदत्त छूट दिनांक 31.08.2007 से निरस्त करता हूं।

एस. चटर्जी

केन्द्रोस भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 2010

का.रा.बी. निगम(भर्ती)विनियम, 2010 ग्रुप 'ग' (परा-चिकित्सा) पद

सं. ए-12(11)1/2008-चि.4(आर.आर.-पी.एम.)--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (21) और धारा 17 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा इस विषय पर पूर्व सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से रह गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा ग्रुप 'ग' परा चिकित्सा पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित भर्ती विनियम बनाता है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--
 - (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 कहे जायेंगे।
 - (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :--
 - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :--

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरहर्ता :---

ऐसा कोई व्यक्ति :--

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

5. स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति :--

स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा तीन सदस्यी समिति के गठन द्वारा की जाएगी जिसमें संबंधित अस्पताल के अपर निदेशक/उप चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक पद का अध्यक्ष होगा।

6. ढील देने की शक्ति :--

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

7. अवशिष्ट मामले :--

इन विनियमों के उपबंधों के शर्ताधीन, निगम में पदों के तदनुरूपी वर्ग के लिए लागू सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

8. अपवाद :--

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

> सी. एस. केदार महानिदेशक

भारत का राजपत्र, मई 21, 2011 (वैशाख 31, 1933)

| पद्य का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान | क्या सयन पद है अथवा | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 | सीची भर्ती के लिए आयु सीमा | सीयी भर्ती के लिए अपेक्षि शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---------------------------|--|------------------------------|---|---|---|
| | | | | गैर चयन पद | के नियम 30 के अधीन सेवा के जोडे | | |
| | - | | | | गये वर्षे का लाम स्वीकार्य | | |
| • | | | | | ŧ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| दृष्टिमापी विशेषझ्/ रिफरेक्शनिस्ट | 7 * (2008) *कार्यभार के आधार पर संख्या | ग्रुप "ग" अलिपिकवर्गीय | वेतन बैंड-1 5200-20200/- रुपये | लागू नहीं | लिम् नहीं | 32 वर्ष से अनधिक (सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के | (i) ऑप्टोमेट्री/ऑर्योप्टिक्स डिप्लोमा के साथ मान्यता प्राप्त बो से 10+2/वरिष्ठ माध्यमिक (ii) कम्प्यूटर का कार्यसाधक झा |
| | में परिवर्तन हो सकता | ····· | ग्रेड वेतन | | | कर्मचारियों के मामले में 37 वर्ष तक की | हो। |
| | | | - 2800/- ₹. | | | दील) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेधालय, अस्प्रगाचल प्रदेश, सिंग्लिष्ठ, त्रिपूर, तांसाल्ष्ड, | टिप्पणी । : अन्यथा सुयोग उम्मीदवारों के मामले में सब प्राधिकारी के विवेकानुस अर्हताएं शिधिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किर स्तर पर सबम प्राधिकारी की य राय हो कि अनुसुधित आदि की य पाय हो कि अनुसुधित आदि की अनुसुधित जनआति के अभ्यार्थिर के लिए आरबित रिक्तियों व अरेबित अनुमव वाले अभ्यार्थिर की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नस |
| | | | | | | त्रभुरा, सिख्छम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लहाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रमाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) | का भयापत राख्या उपलब्ध नर होगी तो राखम प्राधिकार विवेकानुसार अनुभव संबंध अर्हताएं शिथिल कर सकते हैं । |

| क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और | परिवीक्षा की अवधि, यदि | मतीं की पद्धति - क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुविरा/ | वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, | यदि विषालीय पद्योत्तति समिति है तो उत्तळा गठन | वे परिस्थितियां जिनमें भर करते सम्ब |
|--|---------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| शैक्षिक अर्हताएं पद्योवर्तो के | कोई है | आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा बरे जाने वाली | प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा | | संघ लोव सेवा आयो चे प्रयम्ब |
| मामले में भी लागू होंगी | | रिवित्तयों की प्रतिशतता | | ······································ | किया जाना है |
| | | - | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | 100% सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | लागू नहीं | तागू नही |
| | · . | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[भाग III—खण्ड 4

| And the set of t | Alternation Statut Stat |
|--|--|
| Affrein | $\frac{1}{12} = \frac{1}{12} $ |
| and matching streng streng streng streng matching stren | And All Sate and and and and and and and and and and |
| Stretter Stret | अर्मला के सिफि पद्धनियों दारा जाएगा भाषा भाषा भाषा के प्रतिमता की मान जाएगा की मिफ पद्धनियों दारा जाएगा मान मान स्वात मान का साम साम साम साम साम साम साम साम साम सा |
| automatic the strain and and and strain and strain and and strain and str | प्रयोक्त के भंगे सिल्तानों को भंगे जाने वाले माना के भंगे सिल्तानों को सिल्तानों को माने मान के कि कि का का का के मान के मान के मान के कि का का का के मान के मान के मान के कि का का का के मान के मान का कि का का का के मान के कि का का का के मान के कि का का का के मान के मान के मान के मान के कि का का का के मान के कि का का का के मान के कि का का का के का का का के का के मान का कि का का का का के का का का के मान के का का का का के मान के कि का का का का के का |
| मामल में भी (thered) 10 11 13 माम होगी मा होगी 11 11 12 13 माम होगी माम होगी 100% वर्षाती 11 11 13 ता गो के मिल्फ हो 100% वर्षाती 10 10 10 ता गो के मिल हो 10% वर्ताती 10 10 10 ता गो के मिल हो 10% वर्ताती 10 10 10 ता गो भागी के साव मीगे भर्ती हारा 13 10 10 10 ता गो के मिल हो मा सीगे भर्ती हारा 13 10 10 10 ता गो क मीगे भर्ती हारा सिर माम का 10 10 10 10 प्रेति नायायेता साव सेगो का गो का संख का गो का गो 10 10 10 प्रेति नायायेता के साव संख का गो का गो का 10 10 10 10 10 प्रेत न माम के साव संख का गो का गो का संख का गो का 10 <t< td=""><td>का साल में सी तिकिस्त सी तिकिस्त सी तिकिस्त सी 1 12 ह आई सी ह से सी मानु सी 1000 11 12 12 ह आत मंग्रे मानु सी 1000 11 12 12 ह आत मंग्रे मंग्रे 1000 11 12 12 त आप मंग्रे मंग्रे 1000 11 12 12 त आप मंग्रे मंग्रे 1000 11 12 12 त आप मंग्रे मंग्रे 13 15 मंग्रे 3728 में त के साथ ते में तिपार मंग्रे 13 3728 14 में त के साथ ते में तिपार किया आप सर्ग से सि संदरप में त का मंग्रे आप किया आप सर्ग से सि संदरप में तीन सं का ते ते ते संदरप में तीन सं का संतरा संतरप संदरप में तीन सं का संतरा संतरप संदरप में तीन सं का संतरा संतरप संतरप में तेन सं का संत</td></t<> | का साल में सी तिकिस्त सी तिकिस्त सी तिकिस्त सी 1 12 ह आई सी ह से सी मानु सी 1000 11 12 12 ह आत मंग्रे मानु सी 1000 11 12 12 ह आत मंग्रे मंग्रे 1000 11 12 12 त आप मंग्रे मंग्रे 1000 11 12 12 त आप मंग्रे मंग्रे 1000 11 12 12 त आप मंग्रे मंग्रे 13 15 मंग्रे 3728 में त के साथ ते में तिपार मंग्रे 13 3728 14 में त के साथ ते में तिपार किया आप सर्ग से सि संदरप में त का मंग्रे आप किया आप सर्ग से सि संदरप में तीन सं का ते ते ते संदरप में तीन सं का संतरा संतरप संदरप में तीन सं का संतरा संतरप संदरप में तीन सं का संतरा संतरप संतरप में तेन सं का संत |
| बा ग प्रतिकता मताका/पारम मताका/पारम मताका/पारम मता मत 1 1 मताका/पारम मताका/पारम मता मत 1 1 मताका/पारम मताका/पारम मता 1 1 मताका/पारम मता 1 1 1 मताका/पारम मता 1 1 1 मता 1 1 | तान होगी प्रतिसाता 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 100% प्रतीत हाल 1 100% प्रती हा 1 100% प्रती हा 1 100% प्रती हा 1 100% प्रती हा 1 100% प्रत |
| $ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | 8 9 10 11 12 सरकार/राज्य मांगी 100% पदोर्गात हत्य 11 12 मांगत संस्थान मांगी 100% पदोर्गात हत्य 13 14 12 ता पाव संस्थान मांगी 100% पदोर्गात हत्य 13 14 12 ता पाव संस्थान मांगी 100% पदोर्गात हत्य 13 14 13 ता पाव संस्थान मांग 10 11 12 12 ता पाव संस्थान मांग 10 11 13 13 13 ता पाव संस्थान मांग 10 मांग 13 13 14 ता तक संस्थान संस्थान संस्थान संतर प्र संतर प्र पात तक सं से से 14 14 14 14 ता त तक सं संतर प्र संतर प्र संतर प्र ता त तक सं संतर प्र संतर प्र संतर प्र ता त तक सं संतर प्र संतर प्र संतर प्र ता त तक सं संतर प्र संतर प्र संतर प्र ता त तक सं संतर प्र संतर प्र संतर प्र ता त तक सं संत त तक सं संतर प्र त ते त त क संत क तक सं संतर सं त ते त त क त क |
| सरकार राजव जा प्राज संस्ता के से से मां गिर्फ प्रतास गर में से सर से से तो के साथ य आई से टी है ता प्राज संस्तान ता प्राज संस्तान ता प्राज संस्तान तिहाद दृष्टिमांगी तिर्माण के साथ तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि साथ तिर्माण कि साथ तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि साथ तिर्माण कि साथ तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि साथ तिर्माण कि साथ तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण कि सिर्माण तिर्माण कि सिर्माण कि सिर्माण कि तिर्माण कि सिर्माण कि सिर् | सरकार/राज्य लग, नहीं सौधी 100% प्रयोगति हार 15 दे प्रह लो की सेता के साथ अदयतियां ते जा जाल संस्थानं तिष्ट दी सौधी भरती हारा दिरकोटनासिन्द्रदिलामी तिष्ठ माध्यतित्वां ने साथ किया जार्जना अस्ति कार्यन्न कार्यन्न किया प्राप्त कोई से तिर्मात किया जार्जना अस्ति अपनी कार्यन कार्यन्न किया जारता है, प्राप्त कोई से सालाने के साथ किया जा रहा है, मान के साल को की किया किया जा रहा है, तिस लागने के साथ किया जा रहा है, सत्त्य में तोन वर्ष का से तोन वर्ष का सिंह प्राप्त का स्वाति पर सिंह या प्राप्त संता के साथ के आपीक कार्यन है आधिक संत लागने के साथ के आधिक कार्यन है आधिक से तोन वर्ष का से तान उन्होंने है से साथ आपते के साथ करना के सिंह अपनि प्राप्त का उन्होंने है से साथ आपते के सिंह अपने है सी का संगत के सिंह अपने के साथ संगत के साथ का से की सहक का से का उन्होंने है से साथ आपते के सिंह अपने की सीह का तान्ते से का उन्होंने है से साथ प्राप्त की का जा रहा है से साथ आपते के सिंह अपने की का के सी |
| द आई सी टी है | ट आई सी टी ई मांगी के जिसके न होने पर दिव्यत्वाती-सटप्रियामी तो प्राप्त संस्थान तिस्टर्शीटनापी तिस्टर्शीटनापी मीना के साथ प्राप्त संस्थान मीना के साथ प्राप्त संस्थान ति मारानि के मिन लगाने के से तोन वर्ष जा से तोन ज |
| ता प्राप्त संस्थान तित् ते सौगी भली द्वत विशेष से पदोनतियां क. सा तिस्टर्श्वित्यावी तिस्टर्श्वित्यावी से सिंग के साल प्राप्त नहें से प्राप्त नहें से प्राप्त नहें से प्राप्त नहार के साल प्राप्त नहार के साल से तीन वर्ग के भी के सान के सान के सान से तीन वर्ग का से तीन वर्ग का सं तीन वर का सं तीन वर सं ती | ता प्राप्त संस्थानं तिंग दो सौधी भर्ती दर्ता विशेष्ठ से परोक्तीयां तिस्दर्श्वरिमाणी सिस्दर्श्वरिमाणी भौमा के साथ प्राप्त वर्ष से से प्राप्त संस्थान तिस लागने के में तीया कि संस्थान तिस लागने के में गोन वर्ष का में गोन का मे गोन का में गोन का मे गोन का मे गोन का म |
| तिम्प्यत्रित्ताती तिम्प्यत्रित्ताती भीमा के साथ प्राप्त संद से प्राप्त संद से तिम्प्यतिकः । तिम्प्रतिकः । तिम्प्तिकः निम्प्तिकः | तिस्टर्श्वरित्तानी ते साथ प्रात्त ते साथ प्रात्त ते साथ प्रात्त ते साथ प्रात्त ते साथ प्रात्त ते साथ तिष्ठ माद्यांतित्त । तिष्ठ माद्यांतेत्व । तिष्ठ माद्यांत्र ने तिष्ठ माद्यां अस्ति की विषय किया जाला सा है, से तिप्रात् ते के अधिक व्य प्रात्त ते की उनकी अधिक कांत से तोन वर्त का मे तोन का मे तोन वर्त का मे तोन का मे तान का मा तान का मा तान का मा तान का मा तान का मा तान का मा तान |
| सिंद-पहोंटनाती तिल-पहोंटनाती प्राप्त तोई से सिंह मायदांग्रेस्त । सिंह मायदांग्रेस्त । सिंह मायदांग्रेस्त । सिंह मायदांग्रेस्त । सिंह मायदांग्रेस्त । प्राप्त संस्थान से तोन वर्स का से तोन वर से तोन वर | सिस्टरहोटिलाकी मोमा के साथ प्राप्त कोई से प्राप्त कोई से तिकास्टर्गनेका को प्रदेश कर को किया किया जाता है, सि सामाने के से तोन को को विवार किया जाता का है, संस्टर से तोन को को प्रक्रियों का परोसिंग क्यां के से तोन को को कि को को के को कि को से तोन को को प्रक्रियों के सिंह प्रक्रिय का प्रक्रियों के सिंह संस्टर का से तोन को का कि कि कि को को की की सर्वो का ता का को को की संस्टर का नहां है। संस्टर का नहां है। संस्ते को उस्ते को तीका होने हैं स्रित को उस्ते को तिका होते की कि |
| भीमा के साथ प्राप्त बोर्ड से प्राप्त साधान तिक माध्यानेतः । प्राप्त संस्थान से तिपार किया जा परा है, सदस्य गितिरमा ज मितिरमा से तोन वर्ग छा से तोन वर्ग छा सि तान के सि कि कि कि का को से तोन के कि | भोग के साथ प्राप्त बोर्ड से भित मार्टमेल्डा । सिंह मारायमित्तः । प्राप्त संस्थान से तियार किया जात्या पर है, स्राप्त संस हैली प्रतीस न स्वति प् से तोन वर्ष का से तोन |
| प्राप्त बोर्ड से तिक मार्ट्यानेक्त । प्राप्त संस्थान प्राप्त संस्थान के मार्ट्य संस्थान के मार्ट्य स्वया के क्षेत्र क्षेत्र क्या मार्ट्य ने निर्मे के सामान के भी किया के क्षित्र अस्ति या में गोन वर्ष का में गोन वर में गोन वर में गोन वर्र में गोन वर्ष का में गोन वर्ष का में गोन वर्ष का में गोन वर में गोन वर मे गोन वर में गोन वर मे गोन वर में गोन वर मे गोन वर मे गोन का मे | प्रात्त बोर्ड से तिक मार्ग्यानेकः । प्रात् संस्थान तैम लागो के तैम लागो के मे प्रमाग-पत्र । मे गोन वर्ष का मे गोन का मे मे मे गोन वर्ष का मे गोन का मे मे गोन का मे मे गोन का मा गोन मे गोन का मा मे मे गोन का मा |
| रिष्ठ माद्यांगैतः । प्राप्त संस्थान प्राप्त संस्थान तैत त्यां संस्थान तैत त्यां संस्थान तैत त्यां विया जाला क्या का पर्य है, सदस्य तैतिरुमा को तैत त्यां को आई के से प्रमाप-पत्र । से तोन वर्ष आ से तोन वर्ष सि से तोन वर सि से तोन वर सि से तोन वर्ष सि से तोन वर्ष सि से तोन | रिष्ठ माट्यांनेतः । प्राप्त संस्थान के त्रां संस्थान के त्रां के को प्रधान कर से के प्रमाण-पत्र । के प्रमाण-पत्र । के तेन के आप के अधिक को क्रमन को को की अधिक या पात्रता के के आप के अधिक हो, के तेन कर जा का ने का करों है के तेन कर का ने के साथ करों है के कम न हो त्या उन्होंने है कि का उन्होंने है स्थित का त्यां के की कर करों है स्थाय आप के कि करनो है परितिषा अली म्प्यां की कि अपनी करानों है |
| प्राज संस्थान सैस लगाने के सैप्रमाप-पत्र। सैप्रमाप-पत्र। सैप्रमाप-पत्र। सैप्रमाप-पत्र। सेप्रमाप-पत्र। से तोन वर्ष का से तोन वर्ष का सरका से स्वार से सी से तोन वर्ष का सरका से सी सिंह से कम न सो तथा प्रत्नी से सी से कम न सो तथा प्रत्नी से सी सरका ने स्वार मे प्रती कर सी हो। | पाल संस्थान संस लगाने के संप्रमाग-पात्र । संप्रमाग-पात्र । संप्रमाग-पात्र । से तोन वर्ष का से तोन वर्ष का से तोन वर्ष का संस्था के साम कि स्थित् संस्था का त्र की सी कम सि प्रति का प्रहित का त्र की से से साम आपने उप्त के स्थाने की से साम आपने उप्त का ते कि अपने अपनी के प्रति का कि आपने अपनी के प्रति का कि आपने अपनी की |
| प्राप्त सरसान से समान के में प्रमाप-पत्र। में प्रमाप-पत्र। में तोन वर्ष का में तोन का में तो का में तोन का में तो न का में तोन का में तोन का में तोन का में तोन का में तो का में तोन का मे तो का में तो का मे तो तोन का मे तोन का मे तो का मे तो तोन का म | प्रात संस्थान तैस लगाने के मे प्रमाग-पत्र। मे प्रमाग-पत्र। से तीन वर्ष का से तीन वर्ष का से तीन वर्ष का से तीन वर्ष का प्रती कर नहीं स्वाने हे से साथ का ते कि तिथ प्रती कर सी हो। |
| सित लगाने के मे प्रायल-पत्र । मे तोन वर्ष ठा मे तोन वर्ष ठा मे तोन वर्ष ठा अर्हत धा प्राप्ता से सी कम हो, से तोन वर्ष ठा अर्हत धा पालता से बा पहते है मार्थ आले उच्च के में परिविधा असी स्वरुताने होन्हों के परिविधा असी स्वरुताने होन्हों के | रीत लगाने के मे प्रमाल-पत्र । मे तोन वर्ष का मे तोन वर्ष का मे तोन वर्ष का मे तोन वर्ष का प्रति का नहाति है है प्रति का ताक्सा नेता पहने है मे प्रयोकति के तिष्य अपने कनिकों है प्रति का तहा अवते कनिकों है प्रति का तहा अवते का त्यात् |
| मे प्रसात-तत्र । भ तोन वर्ष ठा भ तोन वर्ष ठा भ तोन वर्ष ठा प्रस्ता सेना सेन के आप दे अधिक प्रस्त कम न हो त्या उद्योंने देते से कम न हो त्या उद्योंने देते स्ति कम विभा का प्रहते हो प्रतिका अति के तिष्य उपाने परितीका अतीर कारत्नानुर्वक प्रतिका अतीर कारत्नानुर्वक | मे प्रसात-तत्र । भ तोन वर्ष ठा भ तम्ब भ कम न्ह्रो स्था अर्दर करा वास्ता सेवा परहां है। प्रति कर पुर्वे कराने की वास्तु है। प्रति कर पुर्वे कराने की वास्तु है। परितेषा अर्ले कराने वेस्ता प्रति है। परितेषा अर्ले कराने वेस्ता प्रति है। परितेषा अर्ले कराने हो। |
| में नोग यहां जा अपना को मा के आप के अपना हो को जा के कम न हो ताप उन्हें के प्रि के प्र कि ति साथ आप उन्हें साथ के ता आप के ता साथ के ता आप के ता साथ के ता साथ के ता आप के ता साथ के ता सा ता ता साथ के ता साथ के ता साथ के ता साथ के ता साथ के ता साथ के ता ता साथ के ता ता साथ के ता ता साथ के ता ता ता ता साथ के ता ता साथ के ता ता ता साथ के ता ता ता साथ के ता ता ता ता ता ता साथ के ता ता ता ता ता ता साथ के ता | में तोन वर्ष आ से अपने से जान के आप से जान के आप से अपने ने कि का जान की प्रति का प्रता का |
| म मोन वर्ष को अपरावा का पर का का प से कम न से तका उन्हें अर्हित सा पात्रता तेता त संस्त का नजता सेता न प्रतिका अत्रति के तित्र प्रतिका अत्रति का तित्र प्रतिका अत्रति का तित्र प्रतिका अत्रति का ति | में सोन वर्ष को अपरास सम के आप प से कम न से तासा उन्हों से कम न से तासा उन्हों संस कम न से तासा उन्हों संस आप न जिन्हे साथ अपने कि लिए परितिका अपने कि लिए परितिका अपने कि लिए |
| से अस्य न ये भा अर्थक या नाजता से प्र अर्थक या नाजता से प्र मि का यूने का साथ अपने जिंच प्रितीका अति के लिंग प्रितीका अति के लिंग प्रितीका अति के लिंग | से ज्यन व पा भा अर्थक या नाला उन्हों प्रतिका जाता है साथ उन्हों के तिथ परीवेका अली के लिख प्रतिका तो हो। |
| स कम न श तबा उन पूरी कर यूरे आपने हो पूरी कर यूरे आपने हो साथ उन्हें उन्हें पूरी कर सी हो पूरी कर सी हो | स कम न श तथा उन्हा सरि धा पास्ता सेवा पूरी कर यूके अपने की साथ आगे प्रतिका अलीत का लिए प्रतिका से हो। |
| भ्रांत करा जात्रता सेवा पार्थने ही स् ति कर सुके अपने कतिव्यों के स् ति का तिहर अपने म पदोसति का तिहर अपने पदोसी का लिए अपने पूरी कर ली हो। पूरी कर ली हो। | प्रती कर चुले अपने सहा पहले ही माल उसले उसने करिप्टों के साल उसले उसने में पदो कर ली हो। पूरी कर ली हो। |
| पूरी कर पुणे जरने कनिर्धा के साथ आगते जरू गेंड में परीविधा अलीर भरतमानुर्व पूरी जर ती हो। | पूरी कर चूळे अपने बनिष्टों के साथ आले उस्त ये में पदीक्षा अत्वीर करलतापूर्वक पूरी कर ती हो। |
| नात उन्य के में पदीमति के लिव अतनी पदिसील अतनि सरकानपूर्वक एती हरो हे हि तो हो | साथ आले उच्च ग्रेड मे पदोसति के तिए अपनी परिका अलीन फण्डलतापूर्वक पूरी कर सी हो। |
| पदीकाति के लिए उपनी परितीखा अलगि फारम्पापूर्वक प्रती कर ली हो। प्रती कर ली हो। | पदो मोति के लिस अपनी परिवीक्षा अललि लक्तापूर्वक पूरी कर ली हो। |
| active and a first and a firs | पदामात क तल्ट अपना परिवेखा अनिये सरस्ततातूर्वक पूरी कर ती हो। |
| परिवीस असी मार्ज्याद्वेल प्रिति कर सी हो। प्रिति कर सी हो। | परिवेश अलोग मजनतानूर्वक पूरी कर ती हो। |
| | मुदी कर ची हो। मुदी कर ची हो। |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

भारत का राजपत्र, मई 21, 2011 (वैशाख 31, 1933)

| परका नाम | पद की संख्या | ৱৰ্মীক্তৎস | बेलन बैंड और ग्रेड वेलन/ वेलनमान | क्या चयन पह है अथवा गैर | वपा केन्द्रीय सिविस चेवा (पॅंशन) नियम, 1972 के नियम 30 | चीची मर्ती के लिए आयु सीमा | त्तीयी भर्ती के लिए अपेकित गैक्षिक और अन्य अर्हलाएं |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| ••• | | | | चयन पद | के अधीन सेवा के जोड़े | | |
| | | | | | यये वर्षों का लाभ स्वीकार्य हे | | |
| - 1 | 2 . | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| तकनीकी पर्यवेक्षक (नेत्र विद्वान) | 1 *(2008) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है । | युप 'ग' अलिपिकवर्गीय | वेतन बैंड -2 8300-34800/- रुपये ग्रेड वेतन 4200/- रु. | चयन | लागू नहीं | लागू नहीं | ७ लागू नहीं |
| | | | | | | | - |
| | | | | | • | | |

| क्या सीची भर्सी बालों के लिए विहित आयु और रोखिक अर्हतारं प्रयोगतां के नामले में भी लामू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की पद्धति - क्या सीयी भर्सी ढारा अधवा प्रतिनियुतित, आमेलन ढारा और विभिन्न पद्धतियों ढारा भरे जाने वाली रिक्सियों डी प्रतिश्वस्तता | पदोबसि/ प्रतिनियुविस/ आमेलन द्वारा धर्ती के मामले में वे डोड जिनमें से पद्योप्तति, प्रतिनियुविस, आमेलन किया जाएगा | यदि विषाग्रीय प्रदोत्रति समिति है तो उत्तका गठन | हे परिस्थितियां जिनमें मर्र छपते समय चंघ लोव रोवा आयोग रो परामद किया जाना है |
|---|---|--|---|--|---|
| | - 10 | | | | |
| 9 लागू नही | 10 लागू नहीं | 11 100% पदोचति द्वारा | 12 ग्रेड में छः वर्ष को नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ रिफरेक्शनिस्ट,/दृष्टिमापी विशेषज्ञ से प्रदोन्नति टिप्पणी : जहाँ प्रदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता रेवा पूरी कर चुके अथवा पात्रता रेवा पूरी के चुके ज्वा प्रदा है, उनके वरिष्ठों की प्रदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्त की उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा देसी अर्हक या पात्रता सेवा देसी अर्हक या पात्रता सेवा देसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अधवा हो वर्ह, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने देसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च अंड में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | 13 अध्यक्ष - अपर निदेशक/उप चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक- क.रा.बी. अस्पताल सदस्य - संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/सहायक निदेशक सदस्य - चिकित्सा अधिकारी अधिमानतः संबंधित विशेषक्षता से (केन्द्रीय/राज्य सरकार से बाहरी नामिती) | 14 लागू नही |

ESIC (RECRUITMENT) REGULATIONS, 2010 GROUPC (PARA-MEDICAL) POSTS

No. A-12(11)1/2008-Med.-IV(RR-PM)—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 97 read with clause (xxi) the Sub-section 2 of the said Section and Sub-section (2) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of all previous notification on this subject, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following Recruitment Regulations regulating the method of recruitment to the Group 'C' Nursing Cadre/Posts namely :—

- 1. Short title and Commencement :---
 - (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Nursing cadres/Posts), Recruitment Regulations, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Offical Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay :---

The number of the said post, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc :---

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 13 of the said schedule.

- 4. Disqualification-No person :----
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Confirmation DPC :---

Confirmation DPC shall be done by the concerned appointing authorities by constituting a Committee of three members including the Chairman of the rank of additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent of respective hospitals.

6. Power to relax :----

Where the Director General of the corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Residuary matters :---

Subject to the provisions of these regulations, all Regulations and instructions applicable to the corresponding category of posts in the Corporation shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these Regulations.

8. Savings :---

Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

C. S. KEDAR Director General

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

| | Name of the post | Number of posts | Classifications | Pay Band and Grade Pay /Pay Scale | Whether Selection post or non- selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules, 172 | Age limit for direct Recruitment | Educational and other qualifications required for Direct Recruitment |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 50.Chief Pharmacist (Allopathic) | 2*(2008) *Subject to Variation depending upon workload. | Group 'C' Non- Ministerial | Pay Band -2 Rs 9300-34800 Grade Pay 4600 | Non Selection | Not applicable | Not Exceeding 37 years | Degree in Pharmacy/Senior Secondary with diploma in Pharmacy from a recognized Institution and qualified & Registered as Pharmacist under Pharmacy Act 1948. |
| | | | | | | | | 2. Three Years Exp. in Pharmacy in a recognized Institution |
| | · | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | £. | , | |
| | 52. Optometrist/ Refractionist | 7*(2008) *Subject to variation depending upon workload. | Group 'C' Non- Ministerial | Pay Band -1 Rs 5200- 20200 Grade Pay 2800 | Not Applicable | Not Applicable | Not Exceeding 32 Years (relaxable upto 37 years in case of Government Servant and | (i) 10+2/Higher Secondary from a recognized Board with diploma in Optometry/Orthoptics (ii) Should have working knowledge of computers |
| | | | | • | | | Employees of ESI Corporation) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of | Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the competent |
| | | | • • • • | - | | | applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, | authority in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience |
| • | | | | | | | Negaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba, District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadeep) | are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

3397

ï

| Whether age and educational | Period of Probation if any | Method of Recruitment whether by | In case of Recruitment by promotion/deputation/a | If a Departmental Promotion Committee exists what is its | Circumstances in which Union Public Service Commission |
|--|--|--|--|--|--|
| qualifications prescribed for direct | | direct | bsorption grade from which promotion, deputation, absorption | composition | to be consulted in making Recruitment |
| Recruitment will apply in | | or by deputation/abs | to be made | | |
| the case of promotees | • | orption and percentage of vacancies to be | | | |
| | | filled up by various methods | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not Applicable | Two Years for Direct Recruitment | 100% by promotion failing which by Direct | Promotion from Senior Pharmacist (Allopathic) with five years of regular service | Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI | Not Applicable |
| | | Recruitment | in the grade OR Pharmacist (Allopathic) with Ten years of regular | Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant | |
| | | | Service in the grade. Note : Where juniors who have completed their | Director. Member-Medical Officer preferably from specialty | |
| | | | qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided | concerned (outside nominee from Central/State Government) | • |
| | - | | they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such | | |
| | | · · · | qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully | | |
| | | | completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility | | |
| | | | service | | |
| Not Applicable | Two Years | 100 % by Direct Recruitment | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| | | • | | . | · · · · · · |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | • • | | | | |
| | | | | | · |
| • | | | | · · · · | · · · · |
| | 1 | 1 | | | |

.

.

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

[PART III-SEC. 4

| | Name of the post | Number of posts | Classifications | Pay Band and Grade Pay /Pay Scale | Whether Selection post or non- selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules, 172 | Age limit for direct Recruitment | Educational and other qualifications required for Direct Recruitment |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 53 Sr Optometrist /Refractionist | I*(2008) *Subject to Variation depending upon workload. | Group 'C' Non- Ministerial | Pay Band -2 Rs 9300- 34800 Grade Pay 4200 | Non Selection | No | Not Exceeding 32 Years(Relaxable up to 37 Years in case of Government Servants and employees of ESI Corporation) | (i) 10+2/Senior Secondary from a recognized Board with diploma in Refractionist and Optometry from a Central Govt/State Government / AICTE recognized Institute. (ii) Certificate in contact lenses fitting training from a recognized Institute (iii) Three years Experience in the profession |
| - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | | | | | | | |
| | 54. Technical Supervisor (Ophthalmolo gy) | *Subject to | Gazetted ,Non- Ministerial | Pay Band -2 Rs 9300– 34800 Grade Pay 4200 | Selection | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| | | | | · · · · · | | | | |

¢Ì

PART III—SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

| r | 7 | 1 | · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---|--|---|--|--|--|
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct Recruitment will apply in the case of promotees | Period of Probation if any | Method of Recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ab sorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods | In case of Recruitment by promotion/deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made | Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not Applicable | Two Years for Direct Recruitment | 100 % by promotion failing which by Direct Recruitment | Promotions from Refractionist/Optometr ist with six years regular service in the grade. | Chairman-Additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI | Not Applicable |
| - | | | Note · Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also | Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director. Member-Medical | |
| | | | be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, | Officer preferably from specially concerned (outside nominee from Central/State | |
| | | | whichever is less, and have successfully completed their probation penod for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | | |
| Not Applicable | Not Applicable | 100 % by promotion | Promotion from Sr Refractionist/Optometr ist with six years regular service in the grade. | Chairman-Additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical – Superintendent-ESI Hospital. | Not Applicable |
| | | | Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. | Member- Joint Director /Dy.Director/ Assistant Director. Member-Medical Officer | |
| | | | their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than haif of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already | Member-Medical Orneer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State Government) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | 11. | completed such qualifying or eligibility service. | • | |

27-79 GI/2011

3399